महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

Website www.basiceducation.up.gov.in, www.upcfa.com **Email** upcfaspo@gmail.com **Phone** 0522-2780995, 0522-2780384

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :प्री–प्राइमरी/फर्नीचर/ 4077 /2022–23 दिनांक: 05/सितम्बर/2022

विषय : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को–लोकेटेड) 12879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर (शिशु डेस्क) क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक **शासनादेश संख्या 1737/68–5–2022–1561/2020 दिनांक 31 अगस्त 2022 (संलग्न–1)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार परिषदीय विद्यालयों में अवस्थित आंगनबाडी केन्द्रों (12879) में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु फर्नीचर (शिशु डेस्क) का क्रय करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के सापेक्ष शासनादेश बिंदु संख्या 2 के उपप्रस्तर 1 के सापेक्ष प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित 12879 आंगनबाडी केन्द्रों हेतु इकाई लागत रू0 20000/– की दर से कुल रू0 2575.80 लाख (पच्चिस करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार रूपये) की धनराशि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन के कम में संबंधित धनराशि की लिमिट शीघ्र ही जारी **(संलग्नक–2)** की जायेगी। तदकम में शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार **फर्नीचर कय संबंधी कार्यवाही जनपद द्वारा संपादित** की जानी है–

- फर्नीचर (शिशु डेस्क) की डिजाइन शासनादेश के प्रस्तर संख्या 3 में शासनादेश संख्या **1051/68–5–2022–1561/2020 दिनांक 22 जून 2022 में** निर्धारित की गयी शिशु डेस्क की डिजाइन जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा संस्तुति दी गयी है, **संलग्नक–3** के रूप में संलग्न की जा रही है।
- निर्धारित डिजाइन के अनुसार कय प्रकिया–

– शासनादेश के प्रस्तर 2 उपप्रस्तर 4 के अनुसार गठित जनपद स्तरीय निविदा समिति द्वारा संबंधित कय प्रकिया की जायेगी।

– शासनादेश के प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर 5 के बिंदु A, B तथा C का अनुपालन करते हुए कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

तदकम में निर्देशित किया जाता है कि **शासानादेश 1737/68–5–2022–1561/2020 दिनांक 31 अगस्त 2022** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 12879 को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों हेतु फर्नीचर (शिशु डेस्क) कय की कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से **30 सितम्बर 2022** तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:– उक्तवत।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः–प्री–प्राइमरी शिक्षा/फर्नीचर/ 4077 /2022–23 लखनऊ, तद्दिनॉक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
5. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला परियोजना शिक्षा समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. जिला परियोजना अधिकारी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
10. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, समस्ज जनपद, उ0प्र0।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।
12. जिला समन्वयक प्रशिक्षण, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

2

2

संख्या:1737/68–5–2022–1561/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2022

विषय–परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को–लोकेटेड)12,879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर क्रय प्रक्रिया को निर्धारित करने एवं अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–प्री–प्राइमरी/को–लोकेटेड फर्नीचर/3021/2022–23, दिनांक 01.08.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को–लोकेटेड) 12,879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर क्रय प्रक्रिया को निर्धारित करने एवं अनुमोदन प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में शासन से अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित 12,879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आयुवर्ग 3 से 6 तक के बच्चों हेतु फर्नीचर (शिशु डेस्क) उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू0 2575.80 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को–लोकेटेड) 12,879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु अनुमोदित धनराशि के क्रम में आयुवर्ग 3 से 6 तक के बच्चों हेतु फर्नीचर (शिशु डेस्क) उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं–

(1) प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित 12,879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु इकाई लागत रू0 20,000/– की दर से कुल रू0 2575.80 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(2) **<u>जेम पोर्टल</u>** <u>(GEM Portal) का</u> **<u>अनुपालन</u>**– शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र संख्या पी0ए0बी0 F.No.1-1/2022-IS-6 दिनांक 22nd June 2022 के कार्यवृत्त के **All purchase from central fund should be made through GEM to ensure effective prices and standardized equipments. (Page No 47)** के अनुसार–एफ0एम0 एण्ड पी0 मैन्युअल में निर्धारित क्रय मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त गतिविधियों से संबंधित क्रय आदि जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

(3) राज्य स्तर पर अपर परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष हेतु शासनादेश संख्या–1051/68–5–2022–1561/2020,

Ashok Singh-Letter-1760

दिनांक 22 जून 2022 में निर्धारित की गयी फर्नीचर/शिशु डेस्क की डिजाइन, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सहमति प्राप्त है, को वर्ष 2022–23 में भी क्रय किये जाने पर संस्तुति की गयी है। उक्तानुसार संस्तुत डिजाइन निम्नवत् है–

Design (For Shishu Desk)	Size of shishu desk 950mm(Length) x 355mm(Breadth) x240mm(Height) Mild steel square frame 25 x 25 x 1 Base leg 16 mm dia MS round pipe with wall thickness 1.2 P.P. sheet (Moulded) on Top 4 mm.	Children sitting on MAT	For Two Student	1080.00

(4) **क्रय प्रक्रिया**– जनपदों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित संख्या (न्यूनतम 14 इकाई फर्नीचर/शिशु डेस्क) में फर्नीचर क्रय की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए फर्मों के आबद्धीकरण, अनुबंध प्रक्रिया एवं फर्नीचर आपूर्ति के पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया जनपद स्तर पर ही क्रियान्वित की जायेगी, जिसके अंतर्गत निम्नवत् निविदा समिति का गठन प्रस्तावित है–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी – उपाध्यक्ष।
3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र – सदस्य।
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी – सदस्य।
7. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी – सदस्य।
8. जनपद के राजकीय पॉलिटेक्निक/आईटीआई के प्राचार्य द्वारा नामित तकनीकी विशेषज्ञ –सदस्य।

उक्त समिति आपूर्तित फर्नीचर की गुणवत्ता के सत्यापन हेतु अधिकृत होगी।

(5) **फर्नीचर क्रय हेतु प्रस्तावित निर्गत प्रक्रिया (जेम द्वारा) एवं आपूर्ति प्रक्रिया की प्रमुख विशिष्टियां**–

जेम पोर्टल के माध्यम से जनपदों द्वारा शिशु डेस्क एवं संबंधित फोम मेट का क्रय किया जाना है। उक्त हेतु जनपद द्वारा ई–बिड अपलोड करते समय निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तरीय क्रय समिति क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी–

A. Scope of Work with Additional Term and Condition
B. Format of Advertisement
C. Agreement

A- अतिरिक्त नियम एवं शर्तों के साथ कार्यक्षेत्र (Scope of Work with Additional Term and Condition) -जनपदों में जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर क्रय हेतु एक विस्तृत Scope of Work with Additional Term and Condition जनपद स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित विशेषताओं को सम्मिलित किया जाय–

i. निविदाकर्ता फर्म/Original Equipment Manufacturer Firm (O.E.M.)फर्म का न्यूनतम वित्तीय कारोबार (Financial Turnover) – निविदादाता फर्म अथवा Origanal Equipment Manufacturer Firm (O.E.M.),दोनों का ही औसत न्यूनतम टर्न ओवर विगत 03 वर्षों में अनुमानित निविदा मूल्य (Estimated Bid Value) का न्यूनतम 60 प्रतिशत होना चाहिये।

Ashok Singh-Letter-1505

ii. निविदादाता फर्म का अनुभव (Past Experience of Five Year period before Bid opening date):–

- निविदादाता द्वारा पूर्व में फर्नीचर से सम्बन्धित कम से कम 01 आपूर्ति की जा चुकी हो, जिसका मूल्य जनपद की कुल निविदा मूल्य (Bid Value) का न्यूनतम 35 प्रतिशत हो।

अथवा

- निविदादाता द्वारा पूर्व में फर्नीचर से सम्बन्धित कम से कम 02 आपूर्ति की जा चुकी हो, जिसका मूल्य जनपद के कुल निविदा मूल्य (Bid Value) का न्यूनतम 20 प्रतिशत पृथक–पृथक हो।

अथवा

- निविदादाता द्वारा पूर्व में फर्नीचर से सम्बन्धित कम से कम 03 आपूर्ति की जा चुकी हो, जिसका मूल्य जनपद के कुल निविदा मूल्य (Bid Value) का न्यूनतम 15 प्रतिशत पृथक–पृथक हो।

इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि निविदाकर्ता/ओ0ई0एम0 फर्म द्वारा पूर्व में की गयी आपूर्ति निविदा खुलने की तिथि से पिछले 05 वर्ष से ही सम्बन्धित होनी चाहिए एवं यह आपूर्ति किसी केन्द्रीय/राज्य स्तरीय सरकारी विभाग, पी0एस0यू0, पब्लिक लिस्टेड कम्पनी, लोकल बॉडीज इत्यादि में की गयी हों।

iii. फर्नीचर पर उपलब्ध करायी जाने वाली वारन्टी (Waranty): – चयनित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले सभी फर्नीचर/शिशु डेस्क की वारण्टी न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य होगी। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि में आपूर्तिकर्ता फर्म को फर्नीचर/शिशु डेस्क के टूट–फूट जैसी स्थिति में ऑनसाइट (On Site) वारण्टी प्रदान करनी होगी अर्थात् फर्नीचर/शिशु डेस्क के प्रतिस्थापन (Replacement) अथवा रख–रखाव (Maintenance) का कार्य विद्यालय में जाकर करना होगा।

iv. कार्य निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)– चयनित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) के रूप में फर्नीचर आपूर्ति हेतु प्राप्त किये गये कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू का न्यूनतम 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में उपलब्ध कराना होगा, जिसकी अवधि 03 वर्ष होगी।

v. परिवहन/ढुलाई व्यवस्था (Transportation/Carriage):– चयनित निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा फर्नीचर (शिशु डेस्क) का वितरण (Delivery) सीधे विद्यालय में अनिवार्य रूप से करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्नीचर/शिशु डेस्क के स्पेशिफिकेशन एवं इकाईयों की विद्यालयवार सूची विद्यालय के अधिकृत सम्पर्क सूत्र एवं पते के साथ आपूर्तिकर्ता को पूर्व से उपलब्ध कराया जायेगा।

vi. आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर के Sample का Live Demonstration -निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाली फर्म/निविदादाता को Tender Evaluation Committee के समक्ष फर्नीचर/शिशु डेस्क के Sample का Live Demonstration करना होगा, जिससे कि निविदा समिति Sample फर्नीचर को निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण कर सके।

vii. देरी के कारण दण्डात्मक धारा(Detailed Penalty Clause)–इसके अन्तर्गत Detailed Penalty Clause दिया गया है, जिसके माध्यम से Final Delivery में देरी होने की स्थिति में

Ashok Singh-Letter-1505

दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में आपूर्तिकर्ता पर Weekly Penalty लगायी जा सकेगी। इसका उल्लेख संलग्न किये जा रहे मॉडल एग्रीमेन्ट में भी किया गया है।

viii. अन्य व्यय **(Other Expenses)** अनुमन्य नहीं हैं। निविदादाता द्वारा फर्नीचर के क्रय हेतु फर्नीचर निर्धारित लागत के अतिरिक्त Transportaion Cost, Logistic Charges, Packaging Charges, Cost of Warranty, Taxes इत्यादि को सम्मिलित करते हुये निविदा की कुल दर उपलब्ध करायी जायेगी । इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि देय नहीं होगी।

ix. भुगतान प्रक्रिया (Term of payment)–भुगतान प्रक्रिया हेतु एग्रीमेंट में दिये गये एनेक्सर Anexxure IV के अनुसार–

–बिड में जनपद हेतु निर्धारित संख्या के सापेक्ष 50 प्रतिशत फर्नीचर/शिशु डेस्क की आपूर्ति के गुणवत्ता परीक्षणोपरांत गुणवत्ता मानकों में सही पायी गयी शिशु डेस्कों के मूल्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। तत्पश्चात् बिड में निर्धारित संख्या के सापेक्ष 100 प्रतिशत आपूर्ति के पश्चात् अवशेष भुगतान गुणवत्ता बिंदुओं के परीक्षण एवं एग्रीमेंट में दिये गये अन्य संबंधित बिंदुओं के अनुपालन के पश्चात् जिला परियोजना मद (D.P.O.) में स्थानान्तरित धनराशि से किया जायेगा। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ता फर्म को विद्यालयों में फर्नीचर वितरण से पूर्व किसी भी प्रकार का एडवांस पेमेन्ट नहीं किया जायेगा।

B. **विज्ञापन/प्रचार–प्रसार(Advertisement)** :–G.F.R. (General Finance Rules) 149 में किये गये संशोधन दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि "The GEM SPV will ensure adequate publicity including periodic advertisement of the item to be procured through GEM from the prospective suppliers".

तद्क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में विद्यालयों हेतु फर्नीचर क्रय हेतु Product Specific क्रय प्रक्रिया के पारदर्शी निष्पादन हेतु जेम निविदा से सम्बन्धित विज्ञापन कम से कम 02 बहु प्रसारित समाचार (**Newspaper Having good circulation**) पत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जायेगा।

C. **सहमति पत्र (Agreement)**–मॉडल एग्रीमेंट विस्तृत रूप में संलग्न है। उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के साथ ही फर्नीचर क्रय प्रक्रिया के दौरान जनपदीय निविदा समिति क्रय प्रकिया को विधिक रूप से त्रुटि रहित पूर्ण करने के लिए टेण्डर प्रक्रिया में आबद्ध की जा रही आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ अनुबन्ध प्रपत्र तैयार करेगी। अनुबन्ध की शर्तों में यथावश्यक संशोधन विधिक नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तरीय समिति करने हेतु अधिकृत है किंतु संशोधन के कारण, उससे सम्बन्धित विधिक नियमों को स्पष्ट करने का दायित्व जनपदीय समिति को होगा। यदि कोई संशोधन जनपदीय समिति द्वारा किया गया है तो इसके सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराने का दायित्व समिति का होगा।

(5) आगणन में बाजार दरों पर आधारित मदों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम स्तर/समिति से अनुमोदनोपरांत कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(6) जेम पर अपलोड की गयी बिड में प्राप्त न्यूनतम दर के सापेक्ष फर्नीचर/शिशु डेस्क इकाईयों (न्यूनतम 14 इकाई प्रति को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र) का कय करते हुए अवशेष धनराशि का उपयोग बच्चों के बैठने हेतु इंटरलॉकिंग फोम मेट के कय में वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाये। इंटरलॉकिट फोम मैट का स्पैशिफिकेशन एवं अधिकतम लागत दर निम्नवत् है–

Ashok Singh-Letter-1518

6

6

Design (Interlocking Mat)	24x24inches Thickness 15mm (Soft, Non Toxic, child Safe, Washable, May be in Diffrent Colurs)	Rs 290.00

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव दिनांक 01.08.2022 के क्रम में वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वित्तीय वर्ष 2022—23 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित (को—लोकेटेड) 12,879 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु बच्चों (आयु वर्ग 03 से 06 वर्ष तक) के प्रयोगार्थ फर्नीचर (शिशु डेस्क) क्रय प्रक्रिया को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि फर्नीचर (शिशु डेस्क) क्रय में निर्धारित की गयी व्यवस्था व समय—समय पर दिये गये एम0एस0एम0ई0 (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 को अधिकृत किया जाता है कि समय—समय पर इसका अनुश्रवण किया जायेगा तथा समस्त वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1737 (1)/68—5—2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)
विशेष सचिव।

Ashok Singh-Letter-1565

7

7

F.No.1-1/2022-IS-6
Government of India
Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)
Department of School Education & Literacy
IS-6 Section
****

Shastri Bhawan, New Delhi,
Date: 22nd June, 2022

Subject: Minutes of the meeting of the Project Approval Board held on 12th May, 2022 through Video Conference to consider the Annual Work Plan & Budget (AWP&B) 2022-23 of Samagra Shiksha for the State of Uttar Pradesh.

The meeting of the Project Approval Board (PAB) for considering the Annual Work Plan and Budget (AWP&B) 2022-23 of Samagra Shiksha for the State of Uttar Pradesh was held under the Chairpersonship of Secretary (SE&L) through Video conferencing on 12th May, 2022.

2. A copy of the minutes of the meeting is enclosed

(S.K. Suman)
Under Secretary to the Government of India
Email: - sk.suman@gov.in
Tel. No. 011-23381602

To,

1. Secretary, Ministry of Women & Child Development
2. Secretary, Ministry of Labour & Employment
3. Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment
4. Secretary, Ministry of Tribal Affairs
5. Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation, 4th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
6. Secretary, Ministry of Minority Affairs, 11th Floor, Paryavaran, Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
7. Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability, Ministry of Social Justice & Empowerment, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003.
8. Dr. Prem Singh, Adivser (HRD), NITI Aayog
9. Sh. Santosh Kumar Yadav, Additional Secretary (SS.I), MoE
10. Ms. L. S. Changsan, Additional Secretary (Instt.), MoE
11. Sh. Vipin Kumar, Joint Secretary (AE&Coord.), MoE
12. Sh. R. C. Meena, JS (MDM), MoE
13. Ms. Darshana M. Dabral, JS&FA, MoE
14. Ms. A. Srija, Economic Adviser, MoE

10) Activity wise details and estimates approved:

1) Support at Pre-Primary Level (Elementary): At pre-school level, support is provided for TLM to children, designing of State specific curriculum and revision of Pre-Primary Textbooks in alignment with NCERT curriculum and training of pre-primary teachers. An amount of **Rs. 6919.17 lakh** was estimated for Child Friendly furniture, Bala Features, Outdoor Play Material & support for existing pre-primary classes in primary schools in the State. **The list of ECCE is attached at Annexure 5.1 & 5.2.**

(Rs. in lakh)

Activity Master	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pre- Primary (Non- Recurring)			
Child Friendly Furniture	12879	0.20000	[illegible]
Bala Features	545	0.20000	109
Outdoor Play Materials	545	0.40000	218
Total of Pre- Primary (Non- Recurring)			**2902.80**
Pre-Primary (Recurring)			
Support to Pre-Primary (Existing)	59326	0.06770	4016.37
Total			**4016.37**
Grand Total (NR+R)			**6919.17**

Outcome: This would enable to improve the transition rate by emphasising that every child acquires all cognitive/transversal/affective/psychomotor skills required for being school ready/grade-1 ready.

2) Foundational Literacy and Numeracy: At primary level, all children in the age group of 6-9 should have access to foundational schooling and achieve foundational skills by grade 3. An outlay of **Rs.23749.42 lakh** was estimated for various interventions for Foundational Literacy and Numeracy as per detail given below:

(Rs. in lakh)

Activity Master	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Teaching Learning Materials for implementation of Innovative pedagogies	12482195 (Children)	0.00155	19347.40
Teacher Resource Material/Activity Handbook	448580 (Teachers)	0.00130	583.15
Capacity building of Teachers of Grades I to V (New)	239186 (Teachers)	0.01	2391.86
Independent, periodic and holistic assessment of Students	1 (Districts)	20.00	20.00
Total			**22342.42**
Formation of PMU (Elementary)			
State Level	1 (State)	75.00	75.00
District Level	75(Districts)	17.76	1332.00
Total			**1407.00**
Grand Total			**23749.42**

9

9

Estimate of furniture (Desk) for Pre-Primary School
(For Two Children) as per PWD recommendation

S.No.	Item of works	Measurement	Quantity	Rate (Rs.)	Amount
1	Providing, Fabricating and welding of members of frame for furniture.				
(a)	Mild steel square Hollow section of size 25 x 25 and thickness of wall 1.0 mm for top of frame				
	DAR - 10.26.1	2 x 0.95 = 1.9 M			
		3x 0.305 = 0.915 M			
		Total - 2.815			
			2.12	113.00	239.56
	Wt. of pipe @ 0.7536 kg/m	2.815 x 0.7536			
(b)	16 mm dia MS Pipe for support of top with ERW tube wall thickness 1.2 mm DAR-10.26.2				
	Inclined/vertical	4 x 0.240 = 0.96 M			
	Horizontal Member	2 x 0.355 = 0.71 M			
		Total - 1.67 M.			72.75
		1.67 x 0.44	0.7348	99.00	
	Wt. of ERW tube @ 0.44 Kg/m				
2	Providing and fixing 4 mm th. PP Sheet	0.95 x 0.355 = 0.34			
		2 x 0.95 x 0.025 = 0.05			
		2 x 0.355 x 0.025 = 0.02			
		Total = 0.41 M2	0.41 M2	1198.00	491.18
		2x0.95x0.355=0.675		112.00	86.69
3	Painting works Scb PWD 641+642	1.98 x 0.05 = 0.099	0.774	Total	890.17
				(+)	17.80
				S.Total	907.98
4	Add 2% as contigency			(+)	163.44
				(+)	9.08
5	Add 18% as GST of S Total			G.Total	1080.49
6	Add 1% as Labour cess			Say RS.	1080.00

(सरोजा ... झा)
नगर अभियन्ता

10

10

DESIG AS PER PWD RECOMMENDATION

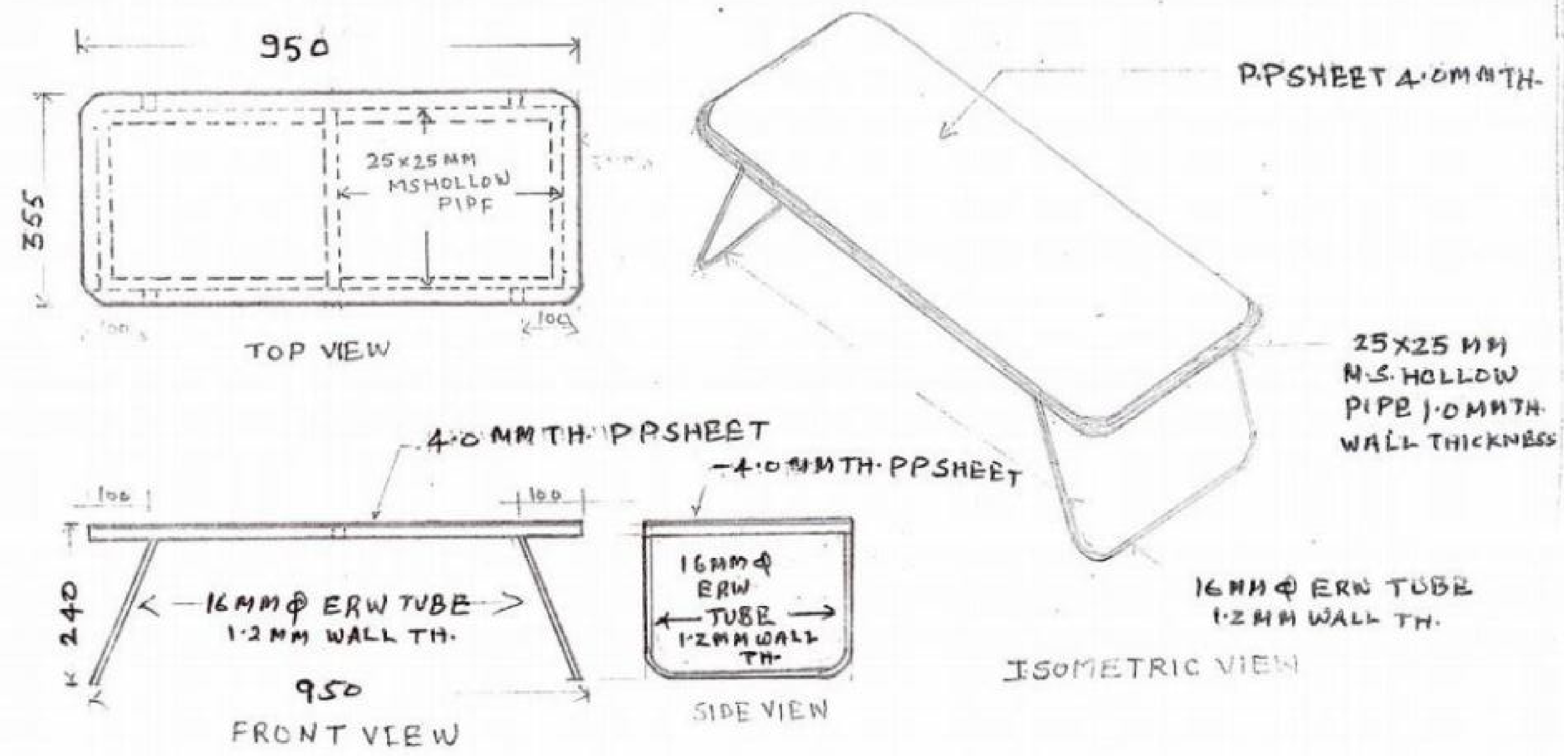

NOTE:- • ALL DIMENSIONS ARE IN MM ONLY WRITTEN DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED
- ON TOP OF FRAME 4.0MM THICK PP SHEET WITH DENISITY OF 920.0 Kg/M3 SHALL BE LAID
- HORIZONTAL PART OF FRAME SHALL BE CONSIST WITH 25X25 MMSQUARE MS PIPE WITH 1.0MM WALL TH
- VERTICAL SUPPORTS SHALL BE CONSIST WITH 16.0 MM OUTER DIA ERW TUBE 1.2 MM WALL TH.
- WT. OF 25x25 mm MS PIPE SHALL be @ 0.7536 Kg/M
- WT OF ERW 16MM DIA PIPE SHALL BE @ 0.44 Kg/M

S.S.A UP STANDARD MAP	DESIGN OF FURNITURE FOR PRE PRIMARY SCHOOL	(MANISH MISHRA) J.E., S.S. (मनीष मिश्रा) अवर अभियन्ता समग्र शिक्षा ...कार्यालय, लखनऊ	(S.NAJMA) (सरोज ...) अवर अभियन्ता समग्र शिक्षा ... परियोजना कार्यालय, लखनऊ

ANNEXURE II

SCOPE OF WORK

1. Terms of reference

The Client seeks the services of a qualified firm to undertake the purchase of shishu desk efficiently and successfully. The Terms of Reference (the "TOR") and the scopeof the Bidder for this assignment are specified below.

1.1 Scope of services

The broad scope of work of the Bidder/Supplier, during the contract period, would be to supply the Shishu desk in Primary Government School in various district of state (UP), which shall include the following activities, but not limited to:

Type of Funiture	Description	Number of units
Design – 1	Shishu Desk Size of Shishu desk 950 x 355 x 240 Mild Steel Square frame 25 x 25 x 1 Base leg 16mm dia Ms round pipe with wall thickness 1.2 P.P. Sheet (Moulded) on Top 4mm (Annexure -1)	As per requirement

1.1.1. In addition to the above-mentioned extent of scope, quantities can be increased or decreased during the contract up to +/- 20%, of any type, at the discretion of the Client or the committee formedhereunder.

1.1.2. Specifications of design are as follows:

- **Size of Shishu desk 950 x 355 x 240 Mild Steel Square frame 25 x 25 x 1 Base leg 16mm dia Ms round pipe with wall thickness 1.2 P.P. Sheet (Moulded) on Top 4mm**